पत्रांक–10/स्थापना व्यय आ0–19/2025–26 73/आ० रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पाकुड़, दुमका एवं प0 सिंहभूम, चाईबासा।

राँची, दिनांक– 15-10-2025

विषयः– **स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष–2053–जिला प्रशासन, लघुशीर्ष–094–अन्य स्थापनाएँ, उपशीर्ष–05–प्रक्रियापालक स्थापना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु कार्यालयवार वेतन इकाई में कुल ₹91,85,000/- (एकानवे लाख पचासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय हेतु विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में कार्यालयवार वेतन इकाई में कुल ₹91,85,000/- (एकानवे लाख पचासी हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्न प्रकार दिया जाता है :–

जिला	पाकुड़	दुमका	चाईबासा	कुल
DDO Code	PKRDADA 01	DMKDAD 012	SGHDAD 017	
आवंटित राशि	1685000	2200000	5300000	**9185000**

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 338/बजट, दिनांक–28.03.2025 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृ0पृ0उ0

7. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. आवंटित राशि की निकासी, हुए व्यय के अनुरूप प्रत्येक माह की जाय।

9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–15.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

14/X

(चन्द्रशेखर)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 73/आ॰ राँची, दिनांक– 15-10-2025

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/जिला कोषागार पदाधिकारी, पाकुड़, दुमका एवं प0 सिंहभूम, चाईबासा एवं बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/X/XXV

सरकार के सचिव।